# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

**(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

मिशल संख्याः– 355/2024 निर्णय दिनांक :– 13.02.2025

**उनवानी प्रार्थना पत्र :**

श्रीमती उषा जिंदल पत्नी श्री गजेन्द्र जिंदल जाति महाजन उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज) **–प्रार्थीया–**

**बनाम**

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज)

**–अप्रार्थी–**

उपस्थिति :–
**श्री बाबूलाल मीणा**
**अधिवक्ता प्रार्थी**

**तहसीलदार देवली**

**<u>प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट</u>**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 655 खसरा नम्बर 2686/1618 रकबा 1.50 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.50 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.50 है0 वाके तनग्राम संथली पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थिया काफी समय से ग्राम संथली से राजमहल मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 1614 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1617 मे बने हुए रास्ते होकर अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2686/1618 में आता–जाता रहा है तथा काश्तकारी कार्य करती चली आ रही है। प्रार्थिया की उक्त भूमि आने–जाने वाला उक्त कदीमी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अन्य कई अतिक्रमी व्यक्ति आये दिन प्रार्थिया को हेरान व परेशान करते है और उक्त अतिक्रमी व्यक्ति कांटो की बाड़ लगाकर व तारबंदी कर प्रार्थिया के कदीमी रास्ते को बंद करने पर आमादा है। वर्तमान में काश्तकारी का समय है । रास्ते के अभाव में प्रार्थिया अपनी भूमि में कृषि संसाधन नहीं ले जा पा रही है। जिससे प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थिया को उक्त वर्णित राजकीय भूमि पर बने हुए कदीमी रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थिया उक्त रास्ता अपनी नितान्त आवश्यकता के लिए लेना चाह रही है। प्रार्थिया अपनी सुविधा के लिए उक्त रास्ता ले रही है।

13.02.2025

CamScanner

अप्रार्थी लैण्ड हॉल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में फोरमल पक्षकार बनाया है। प्रार्थिया की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थिया रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थिया को अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1617 वाके तनग्राम संथली पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में बने हुए हुए कदीमी रास्ते में से 30 फिट रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में रास्ते की तरमीम किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकॉर्डेड रास्ते खसरा न0 1614 रकबा 1.10 है0 किस्म गै0मु0 सड़क (सिवायचक) से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ता 9.1439 मी. चौड़ाई एवं लम्बाई 6.75 मी. अर्थात् कुल क्षेत्रफल 61.72 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु आवश्यक होगी। रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 1775821 के अनुसार कमशः राशि जिसकी एक गुणा कुल राशि 10961 व दुगुनी 21922 रूपये है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नं0 1617 सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड, दीवार संरचना इत्यादि नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

13.02.2025

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी 2686/1618 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 20.11.24 में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम संथली पटवार हल्का संथली के ख़. नं. 2686/1618 रकबा 1.50 है0 में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु ख. नं. 1617 रकबा 0.55 है0 में से 9.1439 मीटर चौड़ाई व 6.75 मीटर लम्बाई कुल क्षैत्रफल 61.72 वर्ग मीटर के लिए डी. एल. सी दर 1775821/– प्रति है0 के अनुसार क्षैत्रफल 61.72 वर्ग मीटर के लिए एक गुना राशि 10961/– रूपये व दुगनी राशि 21922/–रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास दिंनांक 13.02.2025 को सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
देवली